न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
99 / 2024	06.06.2024	06.05.2025

अनवान

1. सागर पुत्र नाथु लाल जाति गवारिया आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. राकेश पुत्र नाथु लाल जाति गवारिया आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रतनलाल पुत्र हेमा जाति गवारिया आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
2. प्रकाश पुत्र नाथु जाति गवारिया आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
3. प्रहलाद पुत्र नाथु जाति गवारिया आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
4. राजु पुत्र नाथु जाति गवारिया आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
5. नारायण लाल पुत्र किशोर जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. बद्रीलाल पुत्र किशनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. रोशनलाल पुत्र किशनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. शंकरलाल पुत्र किशनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. भैरूलाल पुत्र किशना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. रतनलाल पुत्र किशना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. गंगादेवी पत्नी भैरूलाल जाति सोनी आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. गायत्री देवी पत्नी रघुनाथ जाति सोनी आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. निर्मला देवी पत्नी रमेश चन्द्र जाति सोनी आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
14. बालुदास पुत्र मिठुदास जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. महेन्द्र पुत्र जमनालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
16. राजेन्द्र पुत्र जमनालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
17. काना पुत्र नोला जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
18. नाथु पुत्र नोला जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
19. जीतु पुत्र नोला जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच — प्रार्थीगण

अधिवक्ता श्री पवनपाल चौधरी — अप्रार्थी सं0 5,8,10,14,17,18,19

उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौडगढ

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हथियाना पटवार हल्का हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमावंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 210 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1235 रकवा 0.37 हैक्ट0 कुल किता 1 कुल रकवा 0.37 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–वहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 14.06.2024 को कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध वकील प्रार्थीगण द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। वहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व वहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के संयुक्त खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–वहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा हथियाना पटवार हल्का हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 210 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1235 रकबा 0.37 हैक्ट0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 हथियाना को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सोमालका)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौडगढ